उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961]

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 28, 1961
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 21, 1962
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 04, 1969
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 35, 1970
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 18, 1973
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 02, 1975
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 20, 1976
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 56, 1976
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 05, 1979
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 20, 1982
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 03, 1986
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 24, 1986

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 सितम्बर, 1960 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 19 सितम्बर, 1960 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1960 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 जनवरी, 1961 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश मे जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने तथा उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिये ;

अधिनियम

सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोकहित साधन हो ;

और भूमि का अधिक साम्यपूर्ण वितरण आवश्यक है ;

और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमाएं आरोपित करने की व्यवस्था करना इष्टकर है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भ

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 29 अगस्त, 1959 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

(3) यह धारा 2 में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा जथा उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में यह उस दिनांक से तथा ऐसी रीति से प्रचलित होगा जो उक्त धारा के अधीन विज्ञापित की जाय, तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है ।

[1]कतिपय क्षेत्रों में अपवादों तथा परिष्कारों के साथ अधिनियम की प्रवृत्ति

2–राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन रहते हुए जिनका मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और जो मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त कर सकती है :–

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957

(1) नागर–क्षेत्र जिनमें उत्तर प्रदेश नागर–क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956 का प्रसार है ;

(2) [2][कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल] सिवाय काशीपुर परगना के तथा तराई और भावर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है ; तथा

(3) देहरादून जिले का जौनसार–बाबर परगना ।

परिभाषाएं

[3][**3**–जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ––

(1) "बैंकिंग कम्पनी" का तात्पर्य वही है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक–धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में है ;

(2) "अधिकतम क्षेत्र" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो ;

(3) "कम्पनी", "सरकारी कम्पनी" और "सार्वजनिक कम्पनी" के वही अर्थ है जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 मे कम्पनी, गवर्नमेंन्ट कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनी के लिये है ;

(4) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति से है ;

[4][(5) "निगम" का तात्पर्य किसी सांविधिक निगम, अर्थात् किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम से है ;]

(6) "डिग्री या स्नातकोत्तर कालेज" का तात्पर्य ऐसे कालेज से है जो किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सम्बद्ध, सहयुक्त अथवा संघटक कालेज हो ;

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में, "परिवार" का तात्पर्य स्वयं और (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न) उसके पति या उसकी पत्नी, जैसी भी दशा हो, अवयस्क पुत्रों और (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियों से है ;

---

1. अधिसूचना संख्या 25/राजस्व–1–73, दिनांक 11 जून, 1973, अपवादों और संशोधनों के साथ जैसा कि परिशिष्ट (2) में है।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 5(क) द्वारा बढ़ाया गया । [8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।]

(8) "बाग–भूमि" का तात्पर्य किसी जोत में ऐसी विशिष्ट भूमि से है जिस पर 24 जनवरी, 1971 के पूर्व इतनी संख्या में वृक्ष जिसके अन्तर्गत [1][अमरूद पपीता, केला या अंगूर की लताये] नही है) लगाये गये हों कि उनसे, या उनके पूर्णतः विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी यथेष्ट भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करना असम्भव हो जाय, और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष बाग कहलायेंगे ;

(9) "जोत" का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव सभा के असामी या उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी, अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 के अधीन शिकमी काश्तकार से भिन्न काश्तकार, या सरकारी पट्टेदार, अथवा यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो, तो सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हों ;

(10) "इण्टरमीडियेट कालेज" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा इस रूप में मान्यतों प्राप्त कालेज से है ;

[2][(11) "सिंचित भूमि" का तात्पर्य धारा 4–क में निर्धारित रीति से उस रूप में अवधारित भूमि से है ।]

[3][11क–'व्यस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गयी हो, तथा 'अव्यस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यस्क न हो।]

(12) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(13) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के पद से नीचे का न हो, और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ निर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय ;

(14) "निजी सिंचन संकर्म" का तात्पर्य 15 अगस्त, 1972 के पूर्व निर्मित, निजी नलकूप, या चिरस्थायी जल स्रोत से जल–सम्भरण के लिये डिजल या विद्युत शक्ति से परिचालित निजी लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित। [8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।]
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित। [8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।]
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 3ख द्वारा बढ़ाया गया।

(15) "राजकीय सिंचन संकर्म" का तात्पर्य नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 में यथापरिभाषित नहर, अथवा संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 में यथापरिभाषित राजकीय नलकूप, अथवा किसी चिरस्थायी जलस्रोत से जल–सम्भरण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित और डीजल या विद्युत् शक्ति द्वारा परिचालित लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;

(16) "अतिरिक्त भूमि" का तात्पर्य किसी खातेदार द्वारा घृत और उस पर प्रयोज्य अधिकतम भूमि से अधिक भूमि से है तथा उसके अंतर्गत, उस पर विद्यमान किन्हीं इमारतों, कृओं और वृक्षों से भी है ;

(17) "खातेदार" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक हो, किन्तु [1][सिवाय अध्याय–3 के] इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है ––

(क) कोई महिला जिसका पति खातेदार हो ;

(ख) अवयस्क बच्चा जिसके पिता या माता खातेदार हों ;

(18) "असिंचित भूमि" का तात्पर्य [2][सिंचित भूमि, बाग या ऊसर भूमि] से भिन्न किसी भूमि से है ;

(19) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है ;

(20) "ऊसर भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऊसर अवधारित किया जाय ; और

(21) जो शब्द तथा पद इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किन्तु उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिये गये है ।

अधिकतम सीमा तथा विमुक्तियों के प्रयोजनार्थ क्षेत्र का अवधारण

[3]**[4**–धारा 5 के अधीन अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के अधीन किसी विमुक्ति के प्रयोजनार्थ ––

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 3ग द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 3क द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1) खण्ड (2) के उपबंन्धों के अधीन रहते हुए, असिंचित भूमि की डेढ़ हेक्टर भूमि या बाग–भूमि की ढाई हेक्टर भूमि अथवा ऊसर भूमि की ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा ;

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात् ––

(क) बुन्देल खण्ड ;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग ;

(ग) यमुना की गहरी धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा जिले के यमुना के इस पार के भाग ;

(घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ;

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरीध और टप्पा चौरासी (बलायें पहाड़) ;

(च) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है ;

(छ) मिर्जापुर जिले मे परगना संकटेशगढ़ और तहसील चुनार के परगना अहरीरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की अनुसूची 6 की सूची "क" और "ख" में उल्लिखित है ;

(ज) वाराणसी जिले में तहसील चकिया के भूतपूर्व नौगढ़ तालुका का क्षेत्र ;

(झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना ;

[1][किसी एक फसल वाली भूमि की ढेड़ हेक्टर अथवा किसी अन्य असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि] को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा ।

[2][**स्पष्टीकरण**—– खण्ड (2) के प्रयोजनार्थ पद "एकल फसल वाली भूमि" का तात्पर्य किसी ऐसी असिंचित भूमि से है जिसमें किसी राजकीय सिंचन संकर्म अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्वासित सिंचाई के परिणामस्वरूप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगायी जा सके ।]

सिंचित भूमि का अवधारण

[3][**4–क**– नियत प्राधिकारी वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली के संगत खसरों, गांव के नवीनतम नक्शों तथा ऐसे अन्य अभिलेखों की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, जांच करेगा और जहाँ वह आवश्यक समझे स्थानीय निरीक्षण भी कर सकता है, और तदुपरान्त यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि ––

प्रथमतः (क) उपर्युक्त वर्षो में से किसी एक वर्ष में किसी फसल के सम्बन्ध में ––

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

(1) समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 1579/डब्लू 23–62 डब्लू–1946, दिनांक 31 मार्च, 1953 में अधिसूचित सिचाई दरों की अनुसूची संख्या 1 में सम्मिलित किसी नहर द्वारा या ;'

(2) किसी लिफ्ट सिंचन नहर द्वारा, या

(3) किसी राजकीय नलकूप या किसी निजी सिंचन संकर्म द्वारा, किसी भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी ; और ,

(ख) उपर्युक्त वर्षो में से किसी एक वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थी ; या

द्वितीयत :–– उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात् परिचालित होने वाले राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा किसी भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गयी और ऐसे संकर्म के परिचालित होने के दिनांक तथा धारा 10 के अधीन नोटिस जारी किये जाने के दिनाँक के बीच किसी कृषि वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसले उगायी गयी थी ; या

तृतीयत : –– (क) कोई भूमि किसी लिफ्ट सिंचन नहर या राजकीय नलकूप अथवा निजी सिंचन संकर्म के प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित है , और

(ख) उसकी मिट्टी का वर्ग तथा गुण ऐसा है कि उसमें किसी कृषि वर्ष में कम से कम दो फसलें उगायी जा सकती है ;

तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को सिंचित भूमि अवधारित करेगा ।

स्पष्टीकरण–1 –– इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसका किसी भी दिशा में सबसे दूर का खेत ––

(क) वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी वर्ष में ; या

(ख) खण्ड "द्वितीयत :" में अभिदिष्ट कृषि वर्ष में,

सिंचित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण–2 –– किसी निजी सिंचन संकर्म का स्वामित्व तथा उसका अवस्थान इस धारा के प्रयोजनार्थ संगत न होगा ।

स्पष्टीकरण–3 –– जहाँ वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी भी वर्ष में किसी भूमि में गन्ने की फसल उगाई गई हो तो यह समझा जायगा कि इन वर्षो में से किसी भी वर्ष में उस पर दो फसले उगाई गई थी और वह भूमि किसी कृषि वर्ष में दो फसले उगाने योग्य है ।][1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय–2

जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण विमुक्तियां तथा अतिरिक्त भूमि का अर्जन

अधिकतम सीमा का आरोपण

[1][**5**– (1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, कोई खातेदार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, अपने पर प्रयोज्य कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा।

[2][**स्पष्टीकरण–1** —— किसी खातेदार पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में, उसके द्वारा धृत ऐसी समस्त भूमि को जो उसके वैयक्तिक अधिकार मे हो, चाहे उसके नाम में हों या दिखावें के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो, ध्यान में रखा जायगा ।

स्पष्टीकरण–2 —— [3][यदि 24 जनवरी, 1971 को या उसके पूर्व कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास थी, जिसका जोतकब्जा उस पर चला आ रहा है और उक्त दिनांक के पश्चात् वार्षिक रजिस्टर में किसी अन्य व्यक्ति का नाम या तो पूर्ववर्ती व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त अथवा उसके नाम के स्थान पर और चाहें उसे किसी अन्तरण, विलेख या लाइसेन्स के आधार पर या किसी डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया हो तो, जब तक कि नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह मान लिया जायगा कि प्रथम उल्लिखित व्यक्ति ही भूमि को धृत किये हुए है और वह उसके द्वारा द्वितीय उल्लिखित व्यक्ति के नाम दिखावे के रूप में धृत है।]

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित वर्गो के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात् ——

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम ;

(ख) विश्वविद्यालय ;

[4][(ग) कोई इण्टरमीडिएट या डिग्री कालेज जो कृषि विषयक शिक्षा देता हो या स्नातकोत्तर कालेज ;]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित। (17 जनवरी, 1975 से प्रतिस्थापित समझा जाएगा।)
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक ;

(ङ) उत्तर प्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन संघटित भू–दान यज्ञ समिति ।

(3) [1][उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए] उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा ––

(क) किसी ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसने उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भुमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो 5 से अधिक हो तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हों या जिसके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी ।

स्पष्टीरकण –– खंड (क) तथा (ख) में, पद "वयस्क पुत्र" के अन्तर्गत ऐसा वयस्क पुत्र भी है जो मृत हो और अपने पीछे अवयस्क पुत्र अथवा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियां छोड़ गया हो जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिनके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो ।

(ग) [2][* * * *]

(घ) [2][* * * *]

(ङ) किसी अन्य खातेदार की दशा में –– सिंचित भूमि का 7.30 हेक्टर ।

स्पष्टीकरण ––– उपधारा (6) तथा (7) के अधीन उपेक्षणीय भूमि के किसी अंतरण या विभाजन की उपेक्षा निम्नलिखित के लिए भी की जायेगी ––

(त) इस बात के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि किसी खातेदार का कोई वयस्क पुत्र [3][इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख)] के अन्तर्गत स्वयं खातेदार है या नही ;

(थ) धारा 9 के अधीन नोटिस तामील करने के प्रयोजनार्थ ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ग) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ग) (2), खण्ड ग व घ निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ग) (3) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) यदि कोई जोत किसी फर्म या सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय (चाहे वह निगमित हो या नहीं किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी नहीं है), द्वारा धृत हो तो उस जोत को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके सदस्यों द्वारा (चाहे वे भागीदार, अंशधारी या किसी अन्य नाम से कहे जाते हों) उक्त फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य समुदाय में उनके अपने–अपने अंश के अनुपात में धृत समझा जायगा।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि यदि फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में किसी व्यक्ति की प्रविष्टि के ठीक पूर्व, उसके पास कोई भूमि धृत न हो अथवा उसके पास उपर्युक्त अंश के अनुपात से कम क्षेत्रफल की भूमि धृत हो, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि, यथास्थिति, उसका उस जोत में कोई अंश नहीं है या अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल है, और यथास्थिति, सम्पूर्ण जोत या उसके शेष क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह शेष सदस्यों द्वारा फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में उनके अपने–अपने अनुपात में धृत है।]

(5) किसी असार्वजनिक न्यास द्वारा धृत किसी जोत के सम्बन्ध में, ––

(क) यदि ऐसे न्यास की आय में उसके लाभार्थियों का अंश ज्ञात अथवा अवधार्य हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस जोत में लाभार्थियों का अंश उसी अनुपात में समझा जायगा जिस अनुपात मे ऐसे न्यास की आय मे उनका अलग–अलग अंश हो ;

(ख) किसी अन्य दशा में यह उपधारा (3) के [2][खण्ड (ङ)] द्वारा नियंत्रित होगा ।

(6) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में, दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अंतरण की, जो ऐसा अंतरण न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गई होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नही की जायगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी ––

(क) उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अंतरण ;

(ख) कोई अंतरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्व हो तथा ऐसे अप्रतिसंहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अंतरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या आस्थगित लाभ के लिये न हो ।

[3][**स्पष्टीकरण** –1–– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पदावली "दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अन्तरण" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है : ––

[4][(क) किसी वाद या कार्यवाही में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति की सह–खातेदार के रूप में घोषित किया जाना भले ही ऐसा वाद या ऐसी कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन थी अथवा उसके पश्चात् संस्थित की गयी थी];

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(च) द्वारा बढ़ाया गया तथा स्पष्टीकरण पुनःसंख्याकिंत किया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(ख) किसी अन्य विलेख या संलेख में अथवा किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गयी सम्प्रभावी कोई स्वीकृति, अभिस्वीकृति या त्याग अथवा घोषणा ।]

स्पष्टीकरण–2–– यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी विभाजन की, जो ऐसा विभाजन न हो, की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नही की जायगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी ––

(क) [2][* * * *]

(ख) उक्त दिनांक को विचाराधीन किसी वाद या किन्हीं कार्यवाहियों में किया गया जोत का विभाजन ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि खातेदार और विभाजन के किसी दूसरे पक्ष के बीच दूरभिसंधि के कारण ऐसे दूसरे पक्ष को ऐसा अंश दिया गया है जिसके लिये वह हकदार नहीं था, अथवा जितने के लिये वह हकदार था उससे अधिक अंश दिया गया है, तो वह ऐसे विभाजन की उपेक्षा कर सकता है ।

[3][**स्पष्टीकरण–1**–– यदि उक्त तिथि के पश्चात् कोई वाद इस घोषणा के लिये संस्थित किया जाय कि उक्त तिथि को या उससे पूर्व किसी भूमि का बटवारा हो चुका हो तो ऐसी घोषणा की उपेक्षा की जायेगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा और यह समझा जायगा कि उक्त तिथि को या उसके पूर्व कोई बटवारा नहीं हुआ है ।]

स्पष्टीकरण–2–– यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आता है उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

[4]**[**(8) उपधारा (6) तथा (7) में किसी बात के होते हुये भी, कोई खातेदार अपने विषय में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिये कार्यवाही पर्यन्त अपने खाते की किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा और इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।**]**

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के दिनांक को प्रारम्भ हुई और उस दिनांक को समाप्त हुई, जबकि ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन या, यथास्थिति धारा 13 के अधीन आदेश दिया जाय।**]**

अधिकतम सीमा के आरोपण से कतिपय भूमि की विमुक्ति

[5]**[6–** (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6 (च) द्वारा पुनःसंख्यांकित तथा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(ग) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(छ) द्वारा बढ़ाया गया तथा स्पष्टीकरण (2) को पुनःसंख्यांकित किया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(घ) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकतम क्षेत्र का और उसकी अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, विचार नहीं किया जायगा, अर्थात् ––

(क) वह भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये (अर्थात् माल के निर्माण, परिरक्षण, भंडारकरण या प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ) प्रयुक्त हो और जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 143 के अधीन घोषणा विद्यमान हो ;

(ख) वह भूमि जो आवास–गृह द्वारा अभ्यासित हो ;

(ग) वह भूमि जो श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि भूमि नही है ;

(घ) वह भूमि जो चाय, काफी या रबर प्लान्टेशनों के लिये प्रयुक्त हो, और वह भूमि जो नियत सीमा तक उससे संलग्न प्रयोजनों के लिये तथा ऐसे प्लान्टेशनों के विकास के लिये अपेक्षित हो ;

(ङ) वह भूमि जो चौबीस जनवरी, 1971 के पहले से किसी स्टड फार्म के प्रयोजनों के लिए नियत सीमा तक घृत हो ;

(च) वह भूमि जो पहली मई, 1959 के पहले से किसी ऐसे सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्व वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था द्वारा या उसके अधीन घृत हो, जिसकी आय का पूर्ण उपयोग धार्मिक या पूर्व प्रयोजनों के लिए किया जाता हो और वह ऐसा वक्फ, न्यास या विन्यास न हो जिसका पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभार्थी उसका संस्थापक या उसके परिवार के सदस्य या उसके वंशज हों ;

[1][(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक (उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) सार्वजनिक प्रकार की गोशाला द्वारा 8 जून, 1973 के पहले से घृत ;]

(ज) [2][* * * * *]

[3][**स्पष्टीकरण** :– उपधारा (1) के खंड (च) की कोई बात उक्त उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट गोशाला के सम्बन्ध में लागू न होगी ।]

[4][(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ड़) या खंड (च) या खंड (छ) में निर्दिष्ट किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा, और ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक अन्तरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, शून्य होगा ;]

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किसी अन्तरण पर लागू न होगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 7(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 7(ख) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 7(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 7(ख) द्वारा बढ़ाया गया । (सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाएगी)।

(3) किसी भूमि को, जो किसी ऐसे अन्तरण का विषय हो, जो उप धारा (2) के आधार पर शून्य है, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा, और वह दिनांक 10 अक्टूबर, 1975 या ऐसे तात्पर्यित अन्तरण के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी, और उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, अग्रिम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(4) जहाँ कोई भूमि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि समझी जाय ––

[1][(1) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांकों के प्रति निर्देशो के स्थान पर इस धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांक के प्रति निर्देश समझा जायगा ; और]

(2) धारा 17 के अधीन उसके लिये देय राशि उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके पक्ष में ऐसा अन्तरण करना तात्पर्यित हो ।]

भूमि के अंतरण के लिये कतिपय संविदाओं के आधार पर वाद सम्बन्धी रोक

[2]**[7–** किसी भूमि के अंतरण के लिए, यदि ऐसा अंतरण धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय हो, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किये जाने के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

अधिकतम सीमा क्षेत्र में धृत भूमि में खातेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार

[3]**[8–** यदि खातेदार की पत्नी या अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री द्वारा धृत भूमि को धारा 5 की उपधारा (3) के [4][खण्ड (क) या खण्ड (ख)] के अधीन खातेदार के परिवार द्वारा धृत भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है तो उनके पास बची भूमि को, उनके द्वारा संयुक्त रूप में, इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने के पूर्व उनके द्वारा क्रमशः धृत भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में, धृत भूमि समझा जायगा ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उन खातेदारों को जिसके पास अधिकतर क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसके सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सामान्य नोटिस

9– [(1) इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी, सरकारी गजट में सामान्य नोटिस प्रकाशित करके, ऐसे प्रत्येक खातेदार से, जिसके पास इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह उसे (प्राधिकारी को) उक्त नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ऐसे आकार में तथा ऐसे ब्यौरों सहित, जो नियत किये जाये, अपनी समस्त जोतों के सम्बन्ध में एक विवरण प्रस्तुत करे । विवरण में वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिसके या जिनके लिये वह विमुक्ति का दावा करे और वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिन्हें कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें।

[1][(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, नियत प्राधिकारी, तत्सदृश सामान्य नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे खातेदार को जिसके पास उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने पर उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, ऐसी नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, उपधारा (1) में अभिदिष्ट विवरण–पत्र प्रस्तुत करने को कहेगा।

[2][प्रतिबन्ध यह है कि 10 अक्टूबर, 1975 के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसे खातेदार से जिसके पास उक्त दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नियत प्राधिकारी को ऐसी नोटिस की तामील के दिनाँक से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे सम्बन्धित कोई सूचना प्रस्तुत करे।]

[3][(2–क) प्रत्येक खातेदार जिसके पास 24 जनवरी, 1971 को, या उसके पश्चात् किसी समय अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो और जिसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत न किया हो और जिसके सम्बन्ध में 10 अक्टूबर, 1975 को इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन न हो, उक्त दिनाँक से तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमे ––

(क) 24 जनवरी, 1971 को उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत,

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 4 से मूल अधिनियम की धारा 9 को पुनःसंख्याकित करके उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित, तत्पश्चात उपधारा 2 और 3 बढ़ायी गयी।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 8(क) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 8(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

(ख) 24 जनवरी, 1971 और 10 अक्टूबर, 1975 के बीच उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित या निस्तारित, समस्त भूमि का ब्यौरा दिया जायगा।][1]

(3) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित किये जाने के योग्य हो, तो खातेदार उपधारा (1) में अभिदिष्ट अपने विवरण–पत्र के साथ ऐसे प्लाट या प्लाटों को रखने के सम्बन्ध में जिन्हें वे अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे, अपनी पत्नी की सम्मति भी प्रस्तुत करेगा और यदि उसकी पत्नी की सम्मति इस प्रकार प्राप्त न हो, तो नियत प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन उस (पत्नी) पर पृथक रूप से नोटिस तामील करायेगा ।]

विवरण प्रस्तुत न करने वाले या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले खातेदारों को नोटिस

10–(1) यदि कोई खातेदार धारा 9 के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करे या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करे तो ऐसी प्रत्येक दशा में नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, एक विवरण तैयार करवायेगा जिसमें ऐसे ब्यौरे दिये होंगे जो नियत किये जाये । इस विवरण में विशेष रूप से [2][धारा 6 के अधीन] विमुक्ति भूमि, यदि कोई हो दिखाई जायगी तथा वह गााटा या वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिसे या जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो ।

(2) तत्पश्चात् नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति के सहित एक नोटिस, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, प्रत्येक ऐसे खातेदार पर तामील करायेगा, जिसमें उससे कहा जायगा कि वह उस नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण प्रकट करें कि विवरण क्यों ठीक न मान लिया जाय । निर्दिष्ट अवधि नोटिस की तामील के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी ।

आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर अतिरिक्त भूमि का अवधारण

11–(1) यदि धारा 9 के अधीन प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किसी खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर दिया जाय अथवा यदि धारा 10 के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति न की जाय तो नियत प्राधिकारी खातेदार की अतिरिक्त भूमि तदनुसार अवधारित करेगा ।

(2) नियत प्राधिकारी ऐसे खातेदार द्वारा जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, प्रार्थना दिये जाने पर और उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उस खातेदार को धारा 10 के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति देगा और धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही करेगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 8(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) उपधारा (2) और धारा 13 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि का अवधारण

12–(1) यदि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अथवा धारा 13 के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के परिणाम–स्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो तो नियत प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपने कारणों को अभिलिखित करके आपत्तियों का निर्णय करेगा तथा अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा ।

(2) धारा 13 के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये उपधारा (1) के अधीन नियत प्राधिकारी का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि–न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

कतिपय मामलों के सिवाय खातेदार का विकल्प माना जाना

[1]**[12–क**– धारा 11 या धारा 12 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने में नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, खातेदार द्वारा प्लाट या प्लाटों के सम्बन्ध में जिन्हें वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य, यदि कोई हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने पर या उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें, इंगित विकल्प को स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके द्वारा धारा 9 के अधीन अपने विवरण–पत्र में या किन्हीं अनुवर्ती कार्यवाहियों में इंगित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ––

(क) नियत प्राधिकारी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र मे सम्मिलित की जाने वाली भूमि की संपाश्विकता को ध्यान मे रखेगा ;

(ख) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित की गई हो, और उसकी पत्नी ने उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखे जाने वाले प्लाट या प्लाटों के संबंध में खातेदार द्वारा इंगित विकल्प के बारे में सम्मति न दी हो, तो नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, ऐसी रीति से अतिरिक्त भूमि घोषित करेगा कि खातेदार की पत्नी द्वारा धृत भूमि में से लिये जाने वाले क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्र में वही अनुपात हो जो उसके (पत्नी) द्वारा मूलतः धृत क्षेत्र का परिवार द्वारा धृत कुल भूमि में हो ;

(ग) यदि किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार या [2][उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी बैंक] या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक या अन्य सहकारी समिति या निगम या किसी सरकारी कम्पनी के पास गिरवी रखी गई भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, इस प्रकार गिरवी रखी गई भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 9(1) द्वारा प्रतिस्थापित। (31 मार्च, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे)।

(घ) यदि किसी व्यक्ति के पास, धारा 5 की उपधारा (6) या उपधारा (7) में अभिदिष्ट किसी अंतरण या विभाजन विषयक किसी भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, ऐसे अंतरण या विभाजन विषयक भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायेगी, और यदि अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो ऐसे अंतरण या विभाजन का विषय हो तो ऐसा अंतरण या विभाजन, जहाँ तक उसका सम्बन्ध अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित भूमि से है, शून्य समझा जायगा और सदैव से शून्य होगा ; और ––

(1) अंतरिती अपने द्वारा अंतरक को अग्रिम दिये गये प्रतिफल की आनुपातिक धनराशि को, यदि कोई हो, लौटाने के लिए दावा कर सकता है, और यह धनराशि धारा 17 के अधीन अंतरक को देय [1][राशि] पर और अधिकतम क्षेत्र के भीतर अंतरक द्वारा रखी गई किसी भूमि पर भी भारित होगी और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि को उस प्रभार की पुष्टि के लिये बेचा जा सकेगा ;

(2) विभाजन से सम्बन्धित (ऐसे खातेदार जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित की गयी हो, से भिन्न) कोई पक्ष जिसकी भूमि उक्त खातेदार की अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित की गयी हो, विभाजन को फिर से कराने का हकदार होगा।]

13–(1) धारा 11 की उपधारा (2) या धारा 12 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस [2][आयुक्त] के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र मे वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

(2) [2][आयुक्त] अपील को यथाशक्य शीघ्र निस्तारित करेगा तब उस पर उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी विधि–न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(3) यदि इस धारा के अधीन अपील की जाय तो [2][आयुक्त] उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो ठीक और उचित समझी जाये :

[3][प्रतिबन्ध यह है कि भूमि के उस भाग के संबंध में, जिसके अतिरिक्त होने के बारे में या तो धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आपत्ति में विवाद नही उठाया गया था अथवा अपील में विवाद न उठाया गया हो उस आदेश का प्रवर्तन, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, स्थगित नही किया जायगा, और अट्ठाइस सितम्बर, 1970 के पूर्व इस उपधारा के अधीन दिया गया कोई स्थगन आदेश, राज्य सरकार द्वारा अपील न्यायालय को तदर्थ आवेदन–पत्र दिये जाने पर, उस न्यायालय द्वारा तदनुसार परिष्कृत कर दिया जायेगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 9(2) द्वारा प्रतिस्थापित। (सदैव से प्रतिस्थापित समझा जायेगा)

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1970 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण–इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनार्थ धारा 9 या धारा 10 के अधीन किसी नोटिस की, या नियत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों की, नियमितता, विघ्यनुकूलता या वैधता के संबंध में कोई विवाद, स्वतः, भूमि का अतिरिक्त भूमि होने से संबंधित विवाद नही समझा जायेगा ।]

कतिपय मामलों में अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण

[1][**13–क**–(1) नियत प्राधिकारी, [2][धारा 14 की उपधारा (4)] के अधीन अधिसूचना के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, किसी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट भूल की परिशुद्धि कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी परिशुद्धि जिससे अतिरिक्त भूमि में वृद्धि हो, तब तक न की जायगी जब तक कि नियत प्राधिकारी ने खातेदार को ऐसा करने के अपने अभिप्राय की नोटिस न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 10, 11, 12, 12–क, 13, 14 [3][15 और 16] के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, और धारा 10 को लागू करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नोटिस धारा 9 के अधीन नोटिस समझी जायगी ।]

अतिरिक्त भूमि का अर्जन

[4][**14**–(1) कलेक्टर ––

(क) उस दशा में जहाँ धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो, वहाँ उसके अन्तिम होने के दिनांक ; या

(ख) उस दशा में, जहाँ धारा 13 के अधीन कोई अपील न की गयी हो, वहां उसके लिये व्यवस्थित परिसीमाकाल की समाप्ति के दिनांक ; या

(ग) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी है, वहाँ उस पर निर्णय के दिनांक ;

के पश्चात् किसी समय धारा 11, धारा 12 या धारा 13 के अधीन अवधारित अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो, जिस पर धारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, किसी व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में ऐसी भूमि, फसल या फल हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या जिसके घोषित किये जाने की सम्भावना हो ।

(3) जहाँ कलेक्टर ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि या असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर कब्जा ले लिया हो, वहां उपधारा (1) के

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

खण्ड (क), खण्ड (ख), अथवा, जैसी भी दशा हो, खण्ड (ग) में अभिदिष्ट दिनांक से ऐसी भूमि, फसल या वृक्षों के फल समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(4) नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित दिनांक के पश्चात्, यथाशीघ्र, इस अधिनियम के अधीन, या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 31 के अधीन अवधारित सभी अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा।][1]

अतिरिक्त भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

15–(1) यदि [2][धारा 14 की उपधारा (1)] के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय, तो कलेक्टर उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में भूमि हो, इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह ;

(1) ऐसी अवधि के भीतर जो आवश्यक हो, उक्त भूमि पर विद्यमान असंगृहीत फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें संगृहीत करे या हटाये ; तथा

(2) ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश के दिनांक से इक्कीस दिन से कम की न हो और जो कलेक्टर तदर्थ निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान अपनी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

[3][**स्पष्टीकरण**–इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल का तात्पर्य किसी ऐसी फसल या फल से है जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन [4][अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने के दिनांक] को विद्यमान हो और इसमें कोई अनुवर्ती फसल या वृक्षों के फल सम्मिलित नहीं हैं।]

(2) यदि सम्बद्ध व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर अतिरिक्त भूमि पर विद्यमान फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य सम्पत्ति की संगृहीत न करे या न हटाये तो कलेक्टर किसी ऐसी फसल या वृक्षों के फलों अथवा सम्पत्ति को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है और सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है ।

(3) जब किसी फसल, फलों या सम्पत्ति का उपधारा (2) के अधीन विक्रय किया जाय तो उसके विक्रय से होने वाली आय का भुगतान, विक्रय का व्यय काटने के पश्चात् विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात्, उस व्यक्ति को किया जायगा, जिसके कब्जे में वह (फसल, फल या सम्पत्ति) थी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी विक्रय से होने वाली आय का दावा कलेक्टर के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाय, तो

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

कलेक्टर उस दावे का निर्णय करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसका विभाजन करेगा और तदनुसार भुगतान का आदेश देगा । यदि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, कलेक्टर ऐसे दावे का निर्णय करने में अथवा विभाजन करने का आदेश देने में असमर्थ हो तो वह सम्बद्ध पक्षों को यह निदेश देगा कि वे विवाद ग्रस्त मामले का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा करवा लें । तत्पश्चात् विक्रय से होने वाली आय के अवशेष का भुगतान या विभाजन, जैसी भी दशा हो, उस न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगा ।

[1][अतिरिक्त भूमि के उपयोग तथा अध्यासन के लिये क्षति–पूर्ति]

[1][**16–** यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् किसी खातेदार के पास उस पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो वह खातेदार जुलाई, 1973 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली अवधि से धारा 14 [2][x x x x] के अधीन कलेक्टर द्वारा उक्त अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक तक, या उस दिनांक तक जब खातेदार [3][उक्त उपधारा] के अधीन कलेक्टर को स्वेच्छा से कब्जा दे, जो भी पहले हो, उसके उपयोग और अध्यासन के लिये राज्य सरकार को उस प्रतिकर को देनदार होगा, जो नियत किया जाय ।]

अध्याय–3

निर्धारण एवं [4][राशि] का भुगतान

[4] [राशि] की गणना की रीति

17–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक खातेदार जिसकी अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गयी है, अनुसूची में निर्धारित तथा आगे व्यवस्थित रीति से अवधारित [5][राशि] पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा ।

[6][(2) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार को देयराशि में से एक भाग पाने का हकदार होगा और उसे वह दिया जायगा । शिकमी काश्तकार या असामी को देय राशि का भाग उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि के लिये मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी किसी भी दशा में, खातेदार को देय राशि के एक चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। वह राशि खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच नियत प्राधिकारी द्वारा विभाजित की जायगी।]

(3) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित व्यक्ति न हो, और जिसका अतिरिक्त भूमि में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस व्यक्ति के लिए [7][राशि] का दावा हो जो इस

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 6 द्वारा निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(ग) द्वारा प्रतिस्थापित । (हमेशा से प्रतिस्थापित समझा जायेगा)।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका हकदार हो, सक्षम न्यायालय में, उस [1][राशि] में किसी अधिकार, आगम या स्वत्व का दावा करने से न रोकेगी।

वक्फ, न्यास, इत्यादि की [2][राशि] का भुगतान

[3]**[17–क–**धारा 17 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे सार्वजनिक, धार्मिक अथवा पूर्त वक्फ, न्यास विन्यास या संस्था को जिसकी आय का आंशिक उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, [3][राशि] के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था होगी, अर्थात् : ––

(1) ऐसे वक्फ, न्यास, विन्यास अथवा संस्था द्वारा धृत अतिरिक्त भूमि को उस अनुपात में दो भागों में विभाजित समझा जायगा जिस अनुपात में उसकी आय का अंश धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो अथवा अन्यथा ;

(2) जहां तक उक्त अतिरिक्त भूमि के उस भाग का सम्बन्ध है जिसकी आय का उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, धारा 17 में अभिदिष्ट [3][राशि] के स्थान पर, नियत रीति से अवधारित की जाने वाली ऐसी वार्षिक धनराशि दी जायगी जो 1 जुलाई, 1972 के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वास्तविक शुद्ध लाभ के वार्षिक औसत के बराबर होगी, और धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबन्ध आवश्यक संशोधनों के साथ उक्त वार्षिक धनराशि के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 17 में अभिदिष्ट [3][राशि] के लिये लागू होते ;

(3) शेष अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में [4][राशि] धारा 17 के अनुसार दी जायगी] ।

स्पष्टीकरण –– यदि कोई वक्फ, न्यास, विन्यास, या संस्था यह दावा करे कि इस धारा के उपबन्ध उस पर लागू है तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा ।]

[6]**[कतिपय मामलों में राशि का लौटाया जाना]**

[5]**[17–ख–**(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपील पर दिये गये किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अन्य आदेश के परिणाम स्वरूप धारा 14 [7][* * * *] के अधीन राज्य सरकार को अंतरित या उसमें निहित किसी भूमि का कब्जा किसी खातेदार को या उसके हित–उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् लौटाना अपेक्षित हो, तो प्रतिकर अधिकारी यह आदेश देगा कि वह [8][उसको दी गयी सम्पूर्ण राशि या, जैसी भी दशा हो, उसका आनुपातिक भाग] वापस कर दें ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 15–क द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 15–ख द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 16(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 7 द्वारा निकाला गया।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 16–ख द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) ऐसी कोई धनराशि जो अदत्त रह जाय, राज्य सरकार द्वारा भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।]

18–[1][धारा 17 के अधीन देय राशि] के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी । — प्रतिकर अधिकारी

19– (1) प्रतिकर अधिकारी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो [2][धारा 17 के अधीन देय राशि] का हकदार हो, प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से तैयार करायेगा, जो नियत की जाय। — प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण–तालिका का प्रारम्भिक प्रकाशन

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण–तालिका, एक ऐसे नोटिस के साथ, जिसमें उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह उस (नोटिस) के तामील किये जाने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर कारण प्रकट करे कि प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसी रीति से तामील की जायगी जो नियत की जाय ।

20–(1) यदि धारा 19 के अधीन प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका की शुद्धता पर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो, तो प्रतिकर अधिकारी उसे प्रतिकर–निर्धारण–तालिका घोषित करेगा । — मामले जिनमें कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों

(2) प्रतिकर अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर और उक्त अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उक्त व्यक्ति को कारण प्रकट करने की अनुमति देगा कि प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस [3][आयुक्त] को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

21–(1) प्रतिकर अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 20 की उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में कारण प्रकट करे, सुनेगा तथा उक्त व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए अपना निर्णय देगा । प्रतिकर अधिकारी उक्त निर्णयानुसार प्रतिकर–निर्धारण–तालिका तैयार करेगा और उसे घोषित करेगा । — आपत्तियों का निस्तारण

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस [3][आयुक्त] को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित । (सदैव से रखे समझे जायेंगे)।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित । (सदैव से रखे समझे जायेंगे)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) [1][आयुक्त] यथासम्भव शीघ्र अपील को सुनेगा और उस पर निर्णय देगा तथा, जहां आवश्यक हो, प्रतिकर–निर्धारण–तालिका उस निर्णय के अनुसार संशोधित की जायगी।

(4) प्रतिकर अधिकारी अथवा [1][आयुक्त] द्वारा किये जाने वाले किसी लिपिक या गणित सम्बन्धी भूल सुधार के अधीन रहते हुये, धारा 20 के अधीन घोषित अथवा इस धारा के अधीन घोषित या संशोधित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका, अन्तिम तथा निश्चायक होगी और किसी विधि–न्यायालय में उस पर आपत्ति नही की जायगी ।

[2][राशि के भुगतान की रीति]

[2]**[22**–(1) निर्धारण तालिका में दर्ज राशि उस दिनांक को, जब धारा 14 के अधीन भूमि का कब्जा लिया जाय, और जहां राशि पाने के हकदार व्यक्ति को विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर लिया जाय, वहां ऐसे दिनांकों में से अंतिम दिनांक को, देय हुई समझी जायगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारण तालिका में दर्ज राशि पर, उपधारा (1) के अधीन उसके देय होने के दिनांक से, यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन उसके अंतिम अवधारण के दिनांक तक साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा ।

(3) धारा 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज सहित राशि का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा ––

(एक) यदि वह एक हजार रूपये से अधिक न हो तो नकदी में एकमुश्त ;

(दो) किसी अन्य स्थिति में, पाँच वार्षिक किस्तों में जिनमें से पहली किस्त एक हजार रूपये की होगी और शेष, चार वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में देय होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार, बकाया राशि का भुगतान किसी समय कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (दो) में निर्दिष्ट चार वार्षिक किस्तों की स्थिति में, बकाया राशि पर यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन राशि का अंतिम अवधारण किये जाने के दिनांक से उस दिनांक तक, जब प्रत्येक ऐसी किस्त देय हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे उक्त राशि के संबंध में इस प्रकार भुगतान किया जाय, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।]

[3][राशि] का न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में रक्खा जाना

23–यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन देय संपूर्ण [4][राशि] या उसका कोई भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, या पड़ने की संभावना हो तो वह न्यायालय या प्राधिकारी [4][राशि] अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 20(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 20 ख द्वारा प्रतिस्थापित।

कि वह इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में रख दे या उसका निस्तारण उसके आदेश के अनुसार करे । [1][राशि] अधिकारी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के ऐसे किसी भी आदेश का पालन करेगा ।

अध्याय–4

अतिरिक्त भूमि का निस्तारण और बन्दोबस्त

24– [2][* * * *]

25–राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय, ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये अस्थायी या स्थायी रूप से उपयोग कर सकती है या उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, जिसके लिये ऐसी भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन अर्जित की जा सकती थी । **अतिरिक्त भूमि का अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग ऐक्ट संख्या 1, 1894**

26–(1) राज्य में निहित अतिरिक्त भूमि का समस्त बन्दोबस्त राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा [3][धारा 26–क और 27] के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा । **कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या उसका पट्टे पर दिया जाना**

(2) [4][* * * *]

[5]**[26–क**–किसी व्यक्ति को धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि–विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के ठीक पूर्व थी, अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गयी अतिरिक्त भूमि ऐसी अवधि के अन्त में, कलेक्टर द्वारा वापस ले ली जायेगी, और तत्पश्चात् उसका बन्दोबस्त धारा 27 के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा : **उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गई भूमि का बन्दोबस्त**

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो, इस प्रकार पट्टे पर उठायी गयी अतिरिक्त भूमि की गणना न की जाती और यदि वह मण्डल का निवासी होता तो 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (1) के खंड (ख) से (ज) तक में से किसी खंड के अन्तर्गत आता, तो उस भूमि मे से उतनी भूमि का बन्दोबस्त जो उसके द्वारा अन्य प्रकारेण धृत भूमि के क्षेत्रफल को, यदि कोई हो, जोड़ कर 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न होती हो,उस व्यक्ति की इच्छा पर, उक्त अवधि के अन्त में अथवा उससे पूर्व कलेक्टर द्वारा उसी व्यक्ति के साथ किया जायगा ।]

27– (1) राज्य सरकार ऐसे गांव में, जिसमें सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि उपलब्ध न हो या जिसमें ऐसी उपलब्ध भूमि 15 एकड़ से कम हो, अतिरिक्त भूमि का उस गांव के [6][गांव सभा] के साथ इस प्रकार बन्दोबस्त करेगी कि ऐसे बन्दोबस्त के बाद गांव में सामुदायिक प्रयोजनों के लिए कुल उपलब्ध भूमि 15 एकड़ से अधिक न हो, इस प्रकार [6][गांव सभा] के साथ बन्दोबस्त की गयी भूमि का उपयोग पेड़ लगाने, चारा उत्पन्न करने या ऐसे अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो नियत किये जाये । **अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त**

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 20(ख) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 11 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 28 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 28 (2) द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया तथा उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1970 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12 (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) राज्य सरकार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या तो उपधारा (1) या उपधारा (3) के अनुसार कर सकती है या धारा 25 के अनुसार उसका प्रयोग कर सकती है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है या उसका प्रबन्ध कर सकती है अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझें, अन्यथा कार्यवाही कर सकती है ।]

[2][(3) किसी शेष अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त कलेक्टर द्वारा ऐसे तारतम्य के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए किया जायगा जो 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 की क्रमश [3][उपधारा (1) तथा (3)] में निर्दिष्ट है, [4][*****]]

[5][(4) आयुक्त ऐसे बन्दोबस्त की स्वतः जांच कर सकता है तथा किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि बन्दोबस्त अनियमित है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त हुआ है, हेतुक दर्शित करने की नोटिस देने के पश्चात् ––

(1) बन्दोबस्त और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात्, किसी विधि या उपकरण में किसी बात के होते हुये भी उस व्यक्ति का, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त किया गया हो या पट्टा निष्पादित किया गया हो अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का ऐसी भूमि में, अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायगा तथा ऐसी भूमि राज्य सरकार को लौट जायगी, और

(2) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय, और उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन पारित आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा ।

(6) निम्नलिखित अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन स्वतः कार्यवाही करते हुये आयुक्त नोटिस जारी कर सकता है और उक्त उपधारा के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र दिया जा सकता है ––

[6][(क) 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये किसी बंदोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, उक्त दिनांक से [7][सात वर्ष] की अवधि समाप्त के पूर्व ; और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये किसी बन्दोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, [8][ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो;]

[9][(6–क) जहाँ किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया हो, और जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया हो उससे भिन्न किसी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धो के उल्लंघन में अध्यासन हो, वहाँ कलक्टर उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था, आवेदन पर

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1970 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 21 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12(3) द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12(4) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1986 की धारा 20(i) द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1986 की धारा 20(ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 22(दो) द्वारा बढ़ाया गया ।

उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

(6–ख) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो तीन मास से कम नही होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझें, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाय जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ।

(6–ग) जहाँ उपधारा (6–ख) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ–पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि ––

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है कि जिसके संबंध में ऐसी कार्यवाही है ; और

(ख) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है ।

वहाँ न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, और उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(6–घ) जहाँ किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वह उपधारा (6–ग) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा ।

(6–ङ) जहाँ किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहाँ न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6–च) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (6–ख) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानती होगा और उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है ।

(6–छ) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी के अनिम्न अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा ।][1]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 22 (दो) द्वारा बढ़ाया गया।

[1][(7) राज्य सरकार, [2][विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले सामान्य या विशेष आदेश द्वारा] यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से किसी मण्डल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नही किया जा सका, सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायगी, और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।]

बन्दोबस्त की शर्तें

28–(1) [3][धारा 26–क या धारा 27] के अधीन भूमि का समस्त बन्दोबस्त ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए किया जायगा जो नियत की जाय ।

(2) [4][* * * *]

(3) तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई ऐसी व्यक्ति, जिसके साथ [3][धारा 26–क या धारा 27] के अधीन किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या जिसे धारा 26 [5][जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि–विधि (संशोधन) अधिनियम 1969 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व थी] की उपधारा (2) के अधीन भूमि पट्टे पर गयी हो, ऐसी भूमि में कोई ऐसा अधिकार अर्जित नही करेगा, जो उन शर्तो का अल्पीकरण करे, जिनके अधीन भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या वह पट्टे पर दी गयी हो ।

अग्रेतर भूमि का अतिरिक्त भूमि के रूप में अनुवर्ती घोषणा

[6]**[29**–यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात् ––

(क) किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप या प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वरूप चिरभोग द्वारा कोई भूमि किसी खातेदार द्वारा धृत हो जाय, और ऐसी भूमि उसके द्वारा पहले से ही धृत भूमि को मिला कर, उसके लिए प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय ; या

(ख) कोई असिंचित भूमि राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा सिंचाई के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि हो जाय, या कोई बाग–भूमि बाग के रूप में न रह जाय, या इस अधिनियम के अधीन विमुक्त कोई भूमि विमुक्त श्रेणियों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत न रह जाय, तो

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 21(3) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 33(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 13 द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 31 (ii) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण किया जायगा [1][और तद्नुसार इस अधिनियम के उपबन्ध, धारा 16 को छोड़कर आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"]

30–(1) जब कोई भूमि [2][X X X] या धारा 29 के अधीन अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहारिक किये जाने योग्य हो जाय, तो खातेदार, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाये नियत प्राधिकारी को धारा 9 के अधीन निर्धारित आकार में एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह उस गाटे या उन गाटों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहता हों । — **भावी अर्जनों के संबंध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण**

(2) (क) जब उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, तो वह तदनुसार अतिरिक्त का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा ।

(ख) यदि खातेदार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करे अथवा अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत तो नियत प्राधिकारी धारा 10 के अधीन निर्धारित रीति से कार्यवाही करेगा ।

(ग) अतिरिक्त भूमि की घोषणा, अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अन्तर्गत आने वाली अतिरिक्त भूमि पर प्रवृत्त होंगे ।

31–जब इस अधिनियम के अधीन अधिकतम सीमा के आरोपण के पश्चात् कोई भूमि, किसी नदी के हट जाने से किसी विधि या रूढ़ि के अनुसार, किसी जोत में बढ़ जाय और इस प्रकार बढ़ायी गयी भूमि का क्षेत्र खातेदार की अन्य वर्तमान भूमि के क्षेत्र को मिलाकर उसके सम्बन्ध में प्रयोजय अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय तो ; — **नदी के हट जाने से भूमि की प्राप्ति**

(1) उस भूमि का, उस सीमा तक जो उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र को पूरा करने के लिये आवश्यक हो और जो उसकी वर्तमान जोत से मिली हुई हो, बन्दोबस्त खातेदार के साथ, उसी अनुपात से अतिरिक्त मालगुजारी दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए और उन्हीं शर्तो के अधीन जिनके अधीन उसकी वर्तमान जोत हो, किया गया समझा जायगा ;

(2) खातेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बंगाल एलुवियन एन्ड डिलूवियन रेगुलेशन, 1825 (Bengal Alluvian and Diluvian Regulation, 1825) या तत्समय, प्रवृत्त किसी अन्य रूढ़ि या प्रथा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार में निहित हो जायगा ; तथा — **बंगाल रेगुलेशन 111, 1825**

(3) खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि अतिरिक्त भूमि होगी और उसके संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 15 द्वारा निकाला गया ।

अध्याय – 5

विविध

32–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही मे एक पक्ष होगी ।

इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में राज्य सरकार एक पक्ष होगी

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि उस आदेश के दिनांक से जिसके विरूद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन की होगी ।

33–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ;

मौरूसी दरों के अवधारण या परिष्कार का अधिकार

(एक) नियत प्राधिकारी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोई मौरूसी दरें स्वीकृत न की गई हों, मौरूसी दरें, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जाये, निश्चित कर सकता है ; तथा

(दो) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पिछले बन्दोबस्त के समय में कृषि भूमि के विस्तार या सिंचाई के विस्तार तथा उस की रीति, संचार के साधनों, आबादी की सघनता अथवा कृषि की पद्धति में लक्षित परिवर्तन हुआ हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वर्तमान स्वीकृत मौरूसी दरों को नियत रीति से परिष्कृत कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (एक) के अधीन मौरूसी दरों का निश्चय या उसी उपधारा के खंड (दो) के अधीन उनका परिष्कार इस प्रकार किया जायगा कि दरों का निश्चय या परिष्कार, जैसी भी दशा हो, एक क्षेत्र में एक ही वर्ग की भूमि (soil) के लिये यथासंभव समान हो, और निश्चित की गई दरें, किसी भी दशा में, भूमि के उत्पाद–मूल्य (produce value) के पंचात्मंश से अधिक न होगी ।

34–[1][* * * *]

[2]**[35**– (1) कोई भी जो ––

शास्तियां

(क) धारा 9 की उपधारा (2) या उपधारा (2–क), या धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरण या धारा 38–क की उपधारा (1) के अधीन शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करता है, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण देता है या प्रस्तुत करता है या दस्तावेज में कोई सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का कारण उसके पास है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का अन्यथा उल्लंघन करता है, या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का कब्जा लेने में किसी व्यक्ति को रूकावट पहुंचाता है, या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 16 द्वारा धारा 34 निकाला गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) धारा 5 की उपधारा (8), या धारा 6 की उपधारा (2) के उल्लंघन पूर्वक किसी भूमि का अन्तरण करता है, तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ–दंड से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जहाँ कलेक्टर ने धारा 14 [1][x x x x] के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है और कोई व्यक्ति तत्पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है वहां वह व्यक्ति कारावास से ऐसी अवधि के लिये, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ–दंड से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध–दोष ठहराने वाला कोई न्यायालय उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर ऐसी भूमि से बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, बेदखल कर दिया जायेगा ।

(4) उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी भूमि का पुनः कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो।][2]

[3][अपराध का संज्ञान]

[3][**35–क**–कोई न्यायालय, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नही करेगा ।]

कम्पनियों और सहकारी समितियों द्वारा अपराध

36–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कम्पनी हो, तो कम्पनी स्वयं तथा साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपने किए जाने के समय कम्पनी के कार्य–संचालन के लिये उसका अवधायक हो, तो उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध का दोषी समझा जायगा और धारा 35 के अधीन दण्ड का भागी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से उक्त कोई भी दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नही हुआ या यह कि उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी यथोचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अधिकारी की सम्मति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा संचालक, प्रबन्धक, सचिव अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और भागी होगा ।

स्पष्टीकरण –– इस धारा के प्रयोजनों के लिये ––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और सहकारी समिति, अथवा फर्म या व्यक्तियों की कोई अन्य संस्था भी इसके अन्तर्गत है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "संचालक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 9 द्वारा हटाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 24 द्वारा बढ़ाया गया।

37–इस अधिनियम के अधीन जांच करने या किसी आपत्ति की सुनवाई करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय के यथाप्रयोज्य सब अधिकारी या प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय के यथाप्रयोज्य सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ, सिविल प्रोसीजर, 1908 में अचल सम्पत्ति विषयक वादों के परीक्षण तथा निस्तारण के लिये दी हुई है । आपत्तियों की सुनवाई तथा उन के निस्तारण अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के अधिकार तथा अनुकरणीय प्रक्रिया

38–(1) इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने में और उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में अपीलों की सुनवाई तथा उनके निर्णय के लिये दी हुई है । अपीलीय न्यायालय के अधिकार तथा उसके द्वारा अनुकरणीय प्रक्रिया

(2) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपील की सुनवाई [1][आयुक्त] द्वारा होनी हो तो वह या तो स्वयं उस अपील को सुन सकता है या उसे सुनवाई के लिये अपने अधीनस्थ [2][अपर आयुक्त] को संक्रमित कर सकता है ।

[3]**[38–क**– (1) जहां नियत प्राधिकारी या अपील न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये यह आवश्यक समझें वहां वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर किसी खातेदार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में ऐसा विवरण, जैसा नियत किया जाय, शपथ–पत्र द्वारा प्रस्तुत करे । [3][खातेदार से भूमि का विवरण मांगने की शक्ति]

(2) खातेदार की अतिरिक्त भूमि के अवधारणार्थ उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत भूमि के विवरण पर विचार किया जा सकता है ।

[3]**[38–ख**–इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में या किसी वादपद पर (जिसके अन्तर्गत कोई आदेश, डिक्री या निर्णय भी है) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी निष्कर्ष या विनिश्चय से इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाही या वादपद पर समय–समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः विचारण में कोई रुकावट न होगी ।] [3][पूर्व न्याय का अर्जन]

39–किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी जो सद्भावना से और इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में की गई हो, या की गई प्रकट हो । इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

[4]**[40**–यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को कोई धनराशि देय हो, तो उसे वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय राशि से, यदि कोई हो, काट कर या माल–गुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।] इस अधिनियम के अधीन किसी धनराशि की वसूली की रीति

41–ऐसी जोत या जोतों के सम्बन्ध में, जिनके भाग इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, मालगुजारी या अबवाबों या अन्य आदेशों के सभी बकाया और मलगुजारी क बकाया की वसूली

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 3ख द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 26 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।

लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, 1883 या एग्रीकल्चरल लोन्स ऐक्ट, 1884 या 1984 ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर ऐक्ट या उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, 1957 के अधीन उसके धारक द्वारा देय सभी धनराशियां, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय के अधीन देय [1][राशि] में से अदत्त धनराशि की कटौती करके वसूल की जा सकती है ।

[2] [परिसीमा अधिनियम 1963" की प्रवृत्ति] ऐक्ट सं० 9, 1908

42–[3][परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5, तथा 12] उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर अपील, प्रार्थना–पत्र तथा आपत्ति की कार्यवाहियां भी है, प्रवृत्त होंगे ।

अधिकारों का प्रतिनिधान

[3]**43**–इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के अधिकारों का प्रभाव उस परगने के, जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, प्रभारी प्रथम श्रेणी असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा अथवा प्रथम श्रेणी के किसी अन्य असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तदर्थ अधिकृत किया गया हो, किया जा सकता है ।

नियम बनाने का अधिकार

44– [4] [(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।]

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय पर व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् : ––

(क) रीति जिसके अनुसार इस नियम के अधीन कोई नोटिस या आदेश तामील या प्रकाशित किया जा सकता है ;

(ख) प्रक्रिया जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय कलेक्टर अनुसरण करेगा ;

[5][(खख) शर्तें जो धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन भूमि का अन्तरण करने की अनुज्ञा देने से संबंधित हो ;]

(ग) रीति तथा सिद्धान्त जिनके अनुसार धारा 15 की उपधारा (3) में उल्लिखित व्यय की गणना की जायगी ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी याचिका या अपील पर शुल्क, और

(ङ) विषय जो नियत करने हों और नियत किये जायें ।

(3) [6][* * * *]

निरसन

45–(1) 30 जून, 1961 से उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम, 1957, सिवाय उसकी धारा 28 के, निरस्त हो जायगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 17(i) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 17(ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 29(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 29(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 29(ग) द्वारा निकाला गया ।

(2) उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, 1957 का निरसन होने पर तथा यू० पी० जनरल कलाजेज ऐक्ट, 1904 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर होगा : –– उ० प्र० अधिनियम संख्या 31, 1957 उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1904

(क) इस प्रकार निरस्त अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन अथवा तद्धीन की गई या करने की गयी कोई बात, या

(ख) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत कोई अधिकार विशेषाधिकार प्रभार अथवा दायित्व,

(ग) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शक्ति, जब्ती अथवा दण्ड, या

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान, विधिक कार्यवाही अथवा उपचार, या

(ङ) उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस जोत के सम्बन्ध में जो कर निर्धारण से बच गयी हो, कार्यवाही करने का अधिकार ; उ० प्र० अधिनियम संख्या 31, 1957

और ऐसे किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही, उपचार अथवा कर निर्धारण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है, प्रवर्तित की जा सकती है या की जा सकती है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड आरोपित किया जा सकता है, अथवा ऐसा कोई कर निर्धारण किया जा सकता है, मानों उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, 1957 सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो ।

अनुसूची

(धारा–17)

भाग–1

(क्षेत्र जिनमें 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है ।)

(क) भूमिधर	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का चालीस–गुना [1][* * *] और यदि देय मालगुजारी प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर तो बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) भूमिधर, उस अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में जो "1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम" की धारा 11 में उल्लिखित उसके असामी के पास हो ।	(1) यदि असामी के पास भूमि सदा से लिये हो, तो उस [2][राशि] का 1 भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30क (i) द्वारा निकाला गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की 30क (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।

	(2) यदि असामी के पास भूमि उसके जीवन पर्यन्त हो, तो उस [1] [राशि] का 5 भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।
	[2] (3) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा अधिकतम प्रतिकर मद (ङ) (3) के अधीन असामी में देय प्रतिकर सहित, इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के चालीस गुने से अधिक न होगा ।
(ग) सीरदार	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का बीस गुना और यदि देय मालगुजारी प्रयोग मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम तो दोनों के अन्तर के बीस–गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(घ) किसी [3] [गांव सभा] अथवा स्थानीय प्राधिकारी का असामी ।	उसके द्वारा देय लगान का पांच गुना ।
(ड़) "1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम" की धारा 11 में उल्लिखित असामी ।	(1) यदि असामी के पास भूमि सदा लिए हो, तो उस [4] [राशि] का भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो।
	(2) यदि असामी के पास भूमि, जीवन पर्यन्त हो, तो उस [3][राशि] का भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।
	(3) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो, तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधार, किन्तु ऐसा प्रतिकर इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के पैंतीस गुने से अधिक न होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 क (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1961 की धारा 3 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 क (iii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 क (iv) द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण––जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना अति एकड़ समझी जायगी ।

———–––

भाग–2

(क्षेत्र जिनमें 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है ।)

(क) दखीलकार काश्तकार, साकितुल–मिल्कियत काश्तकार, मौरूसी काश्तकार और काश्तकार रियायती लगान ।	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित लगान का बीस गुना ; और यदि देय लगान इस प्रकार अवधारित लगान से कम हो, तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) अन्य काश्तकार	देय लगान का पांच गुना ।

स्पष्टीकरण–जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायगी ।

———–––

भाग–3

सरकारी पट्टेदार

(क) सरकारी पट्टेदार को देय [1][राशि] का हिसाब भाग 1 अथवा 2 के, जैसी भी दशा हो, अन्तर्गत आने वाले उस खातेदार के लिये व्यवस्थित प्रतिकर के अनुसार लगाया जायगा, जिसके निबंधन और शर्तें सरकारी अनुदान की शर्तों के अधिकतम अनुरूप हों ।

[2][(ख) धारा 3 के खण्ड (9) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय राशि उस राशि का 7/8 भाग होगी, जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो, और शेष राशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी ;]

(क) दखीलकार काश्तकार, साकितुल–मिल्कियत काश्तकार, मौरूसी काश्तकार और काश्तकार रियायती लगान ।	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित लगान का बीस गुना ; और यदि देय लगान इस प्रकार अवधारित लगान से कम हो, तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।

———–––

भाग–4

(क) इमारतें	सकल वार्षिक भाटक–मूल्य का दस से बीस गुना तक, इमारत की अवस्था तथा उसके प्रकार को देखते हुये जो भी निश्चित किया जाय, अथवा यदि भाटक–मूल्य ज्ञात न हो, तो भाटक–मूल्य जो नियत रीति से निश्चित किया जाय ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 (ख) (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 (ख) (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**टिप्पणी**–इमारत की राशि के अन्तर्गत उस भूमि की राशि भी होगी जिस पर इमारत स्थित हो।]

(ख) (1) पक्के कुएं, नल–कूप या सिंचाई की पक्की नालियाँ जो प्रयोग में हों ।	उसी प्रकार का कुआँ या नाली, जैसी भी दशा बनाने की लागत, उसमें से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर ।
(2) पक्के कुयें या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में न हों ।	गोलाई (सिलिंडर) तथा जगत या चैनल की, जैसी भी दशा हो, सामग्री की लागत, 1 से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्य घटा कर ।
(ग) वृक्ष ––	
(1) फलवाले वृक्ष	फल की फसलों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना ।

टिप्पणी :–– [2][* * * *]

(2) फल के उन नये वृक्षों के लिये जिन में अभी फल न लगे हों ।	पौधें की लागत और श्रम तथा रोपण पर व्यय ।
(3) ऐसे वृक्ष जिनका मूल्य मुख्यतया उनकी इमारती लकड़ी के कारण होता है ।	[3][ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना ;]

[4][**स्पष्टीकरण** –– मद (ग) के प्रयोजनार्थ, किसी वृक्ष के सम्बन्ध में पद "औसत मूल्य" का तात्पर्य ऐसे वृक्ष से होने वाले बीस वर्ष के लाभ के अंकगणितीय औसत से है।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (i) द्वारा प्रतिस्थापित । (सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाएगी)
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (ii) 1 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (ii) 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (ii) 3 द्वारा बढ़ाया गया